

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व)
(जिला कलक्टर), बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ. इंद्रजीत यादव, IAS.

प्रकरण संख्या : 11 / 2024

GCMS NO. : 2024 / 63

प्रार्थी/अपीलार्थी :-

श्री शरद पंड्या, कार्यालय
अन्दर की खबर समाचार पत्र, बनाम
घंटाघर के पास, त्रिपोलिया
रोड, बांसवाड़ा

अप्रार्थी / रेस्पोंडेंट्स:-

अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना
अधिकारी) बांसवाड़ा


निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

दिनांक :- 04-09-2024

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाड़ा से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 03-07-2024 (पोस्टल ऑर्डर नं. 62 एफ 366194) को प्रस्तुत किया। अपीलार्थी अनुसार उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाड़ा द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय से नोटिस दिनांक 21-08-2024 जारी किया गया एवं अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भी नियत तिथी को अपना पक्ष रखने उपस्थित होने सूचित किया गया।


लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)




अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा ने उनके पत्रांक एफ 40(5) एडीएम/ आरटीआई/ 2024/ 79 दिनांक 27-08-2024 से जवाब प्रस्तुत करते हुए अपने जवाब में उल्लेखित किया कि वांछित सूचना वांछित सूचना राजस्व अनुभाग में संधारित नहीं है। जिस बाबत अपीलार्थी को कार्यालय के पत्रांक 68 दिनांक 30.07.2024 से नियमानुसार समयावधि के भीतर जरिये रजिस्टर्ड डाक से सूचित किया गया है। अपील अपीलार्थी निरस्त फरमावे।

आज दिनांक 04-09-2024 को अपीलार्थी अनुपस्थित है। हमने पत्रावली का एवं अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा द्वारा प्रस्तुत जवाब का अध्ययन किया। अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा की ओर से प्रस्तुत जवाब अनुसार अपीलार्थी द्वारा उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 30.07.2024 से वांछित सूचना राजस्व अनुभाग में संधारित नहीं होने से इस सन्दर्भ में अपीलार्थी को सूचित किया है।

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक प 3(22) प्रसु/ सूअ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु सं. 3 के अनुसार भी सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक सूचना अधिकारी के पास पहले से मौजूद है। चूंकि अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा ने वांछित सूचना के सन्दर्भ में प्रार्थी को जरिये उनके पत्रांक 68 दिनांक 30.07.2024 रजिस्टर्ड डाक (RR269204635IN) से सूचित किया है। अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने से यह अपील अपीलार्थी के विरुद्ध निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 04-09-2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(डॉ. इंद्रजीत यादव) IAS,
लोक सूचना अपीलार्थी प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बॉसवाडा (राज.)